



बिहार सरकार
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

कार्यालय नगर परिषद्, सहरसा

पत्रांक...../न0प0

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, सहरसा।

महालेखाकार लेखा परीक्षक
बिहार, पटना।

दिनांक...../।

विषय:- नगर परिषद् सहरसा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 187/10-11
अंकेक्षण वर्ष 2007-08 से 2008-09 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में नगर परिषद्, सहरसा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या
187/10-11 अंकेक्षण वर्ष 2007-08 से 2008-09 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य के
साथ भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, सहरसा।

ज्ञापांक.....1078..... दिनांक 03-10-18...../।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को
सादर सूचनार्थ।

31/10/18 - 137/18

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, सहरसा।

3-10-18

नगर परिषद् सहरसा

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 187/2010-11 (प्रधान लेखाकार बिहार)


2. अंकेक्षण अवधि 2007-08 से 2008-09

क्रमांक	कंडिका संख्या	कंडिका का शीर्षक	संक्षिप्त विवरण	किया गया अनुपालन	अभियुक्ति
1	10	होलिडिंग का पुनः निर्धारण नहीं किया जाना	वर्ष 1984 के बाद से अंकेक्षणावधि तक पूर्णनिर्धारण न होने से राजस्व क आवर्ति क्षति	वर्तमान में होलिडिंग का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है	
2	11	रोकड़पाल द्वारा 1.52 (एक लाख बावन हजार) रूपया कोषागार में जमा नहीं किया जाना।	वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में रोकड़पाल द्वारा 68,41,304-45 रूपया प्राप्त किया गया जबकि कोषागार में 66,88,303 रूपया ही जमा किया गया अंकेक्षण दृष्टांत पर पुनः 1,52,001-15 रूपया कोषागार में जमा कर दिया गया।	चलान सं० 2/16/105/07 3/16/05/17 1/05/06/07 C0002/7/7/9 32/3112/14 नाजीर रसीद सं० 2015/24/12/14 उक्त राशि को जमा कर दिया गया है।	साक्ष्य संलग्न।
3	12	संग्राहको द्वारा 4.65 लाख रूपया कार्यालय में जमा नहीं किया जाना।	संग्राहको द्वारा वर्ष 2007-08 में 7,31,238 रूपया का संग्रहण किया गया जिसमें से 2,10,819-32 रूपया को कार्यालय में जमा किया गया अंकेक्षण के दृष्टांत पर पुनः 55,776 रूपया जमा किया गया। शेष 4,54,643.52 अभी भी जमा करने योग्य है।	नाजीर रसीद सं० 2984 दिनांक 12/06/2018 द्वारा श्री मैधम बैठा का संग्रहण कुल मो० 45,788=00 रूपया श्री गणेश लाल देव, नाजीर रसीद सं० 2987,2988 एवं 2990 दिनांक 13/06/18 को कुल मो० 91,212=00 रूपया, जर्नादन पंडित के द्वारा रसीद सं० 2997 दिनांक 26/06/18 द्वारा मो० 6,390 रूपया, किशोर झा के द्वारा नाजीर रसीद सं० 2970 दिनांक 23/05/18 को 200 रूपया, जितेन्द्र कुमार द्वारा नाजीर रसीद सं० 2967 दिनांक 18/05/18 के द्वारा मो० 112 रूपया, देव नारायण साह द्वारा नाजीर रसीद संख्या 3029 दिनांक 13/08/2018 के द्वारा मो० 55,357 रूपया एवं मो० इलहाक अहमद के द्वारा नाजीर रसीद संख्या 3042 दिनांक 18.09.18 के द्वारा मो० 100 रूपया कुल मो० 199159=00 नजारत में जमा किया गया शेष पर नोटिस किया गया अगले अंकेक्षण में उपस्थापित कर दिया जायगा।	साक्ष्य संलग्न।

4	13	संग्राहकों द्वारा 0.97 लाख रुपया कार्यालय कोष में जमा नहीं किया जाना।	दिनांक 26/2/2000 से 7/7/2001 के बीच संग्रह की गयी राशि 96.853.00 रुपया अंकेक्षण अवधि 2010 फरवरी अर्थात् 8वर्ष 6 माह बीत जाने के बाद भी जमा नहीं किया गया। अतः 12% ब्याज वार्षिक दर से 0.97 लाख रुपया जमा करने योग्य है।	96.853.00 रुपया जमा करा लिया गया है जिसका नाजीर रसीद नं0 1527 दिनांक 12/6/2012 है।
5	14	दूर संचार टावरों पर कर रोपण नहीं करने से 15.03 लाख रुपया की क्षति।	वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक प्रतिष्ठापित 19 मोबाईल टावरों पर कराधान नहीं करने के कारण 15.03 लाख रुपया की क्षति।	संबंधितों को नोटिस किया गया है तथा मो0 - 6,50,000 राशि जमा कर दी गई है।
6	22	हटाये जा चुके 4 मास्टर रोल कर्मियों को बकाये का अनियमित भुगतान 5.66 लाख रुपया।	नगर परिषद् की सेवा से हटाये जा चुके कर्मियों को अक्टुबर 2002 से नम्बर 2006 की अवधि के लिए बकाये का अनियमित भुगतान 5,66,452.73	पूर्व नाजीर को भुगतान से संबंधित संचिका उपलब्ध कराने हेतु नोटिस किया गया है।
7	6A	रोकड़ पंजी का संधारण ठीक तरह से नहीं किया जाता है।	भाउचर नम्बर किसी भी रोकड़ पंजी में नहीं लिखा जाता है।	वर्तमान में भाउचर नम्बर रोकड़ पंजी में लिखा जा रहा है।
8	6B	रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक में एक बराबर राशि नहीं दिखाना	रोकड़ पंजी में मो0 4,34,22,992=66 एवं पासबुक में मो0 3,11,80,882=26 को राशि ही दर्शाई गई है।	रीकॉन सिलेशन कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जायगा।
9	7	सरकारी अनुदान	सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का अलग-अलग अनुदान पंजी का संधारण नहीं लिया	अनुदान पंजी संधारित कर लिया गया है।

10	8	बजट	अनुमानित आय एवं व्यय में बहुत का अंतर होना।	विभागीय निर्देशानुसार तैयार किया जा रहा है।
11	9	माँग और कलेक्शन	माँग और कलेक्शन पंजी तैयार नहीं किया जाना।	वर्तमान में माँग एवं कलेक्शन पंजी तैयार किया जा रहा है।
12	15	सरकारी भवन पर बकाया राशि	47.99 लाख की राशि सरकारी भवन पर बकाया है।	17.99 के विरुद्ध वसूली 2,30,199 रु0 वसुल की गई शेष राशि हेतु नोटिस किया गया है। छाया प्रति संलग्न।
13	16	राशि जमा करने में अत्यधिक देरी करना	मैघम बैठा एवं देवनारायण साह द्वारा 35 321 एवं 22.738 रूपया दो साल से अधिक समय वाद जमा किया गया।	वर्तमान में नियमित रूप से जमा कराया जा रहा है।
14	17	रसीद पंजी को अंकेक्षण हेतु उपस्थापित नहीं करना	रघुनाथ पासवान, गणेश लाल देव, संजीब कुमार वर्मा, शिवेन्द्र भगत एवं राजकिशोर सिंह द्वारा रसीद पंजी अंकेक्षण हेतु उपस्थापित नहीं किया गया।	नोटिस किया गया अगले अंकेक्षण में उपस्थापित कर दिया जायगा।
15	18	रॉयल्डी एवं बिक्री कर नहीं जमा किया जाना	मो0 1,32,040=00 रूपया रॉयल्डी एवं बिक्री कर नहीं जमा कराया गया जो नगर परिषद् के खाते में पड़ा हुआ है।	वर्तमान में कटौती की राशि संबंधित शीर्ष में जमा की जा रही है।
16	19	पी0एफ0 की राशि जमा नहीं किया जाना	मो0 6,20,678 रूपया पी0एफ0 खाते में नहीं जमा कराया गया।	जमा करा दिया गया है जिसका चेक सं0 099942 दिनांक 18/11/11 एवं चेक सं0 099967 दिनांक 1/02/2012
17	20	न्यायालय से संबंधित मामला	न्यायालय से संबंधित मामलों के अभिलेख का संधारण ठीक तरह से नहीं करना।	न्यायालय से संबंधित अभिलेख के संधारण हेतु नीरज कुमार वर्मा सहायक की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अंकेक्षण के निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
18	21	लोन दिया जाना	कार्यालय कर्मियों को निजी कार्य हेतु लॉन दिया गया है।	लोन देना बन्द कर दिया गया है।
19	23	अधिक भुगतान	9358=32 रूपया का गाड़ी में तेल देने में अधिक भुगतान कर दिया	पूर्व नाजीर को भुगतान से संबंधित संचिका उपलब्ध कराने हेतु नोटिस किया गया है।

20	24	नगद भुगतान	कार्यालय कर्मियों को नगद भुगतान किया	वर्तमान में सभी कर्मियों के खाता में राशि भेजा जा रहा है।
21	26	बी0आर0जी0ए फ0 योजना	43 योजनाओं में 37 योजनाओं को पूर्ण किया गया 6 अपूर्ण है।	योजना पूर्ण कर ली गई है शेष बची राशि विभाग को वापस कर दिया गया है। प्रत्यार्पण राशि का चलान का सत्यापित प्रति संलग्न।
22	28	संवेदक को अधिक लाभ देना।	कार्य प्रारंभ होने से पूर्व अग्रिम देना	वर्तमान में किसी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जा रहा है।
23	30	गाड़ी के लॉक पंजी में अनियमितता	गाड़ी का पंजीकरण नहीं कराया जाना एवं बिना एम0पी0आई0 सर्टीफिकेट के मरम्मत किया जाना	गाड़ी का पंजीकरण करा लिया गया है। पंजीकरण का छाया प्रति संलग्न।
24	31(1)	कार्यालय कार्य	संचिका पर इन्डैक्स नहीं लिखा जाता है।	इन्डैक्स नम्बर देने की प्रक्रिया प्रारंभ है।
	31(2)		पत्र में डायरी नं0 तथा दिनांक नहीं लिखा जाता है।	पत्र में डायरी संख्या तथा दिनांक लिखा जा रहा है।
	31(3)		बिल पर भाउचर नम्बर नहीं लिखा जाता है।	बिल पर भाउचर नम्बर दिया जा रहा है।
	31(4)		चेक नं0 संचिका के उपर में नहीं लिखा जाता है।	संचिका के उपर चेक नम्बर लिखा जा रहा है।
	31(5)		नागरिक सुविधा की संचिकाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं रहता है।	उपयोगिता प्रमाण – पत्र संचिकाओं में लगाया जा रहा है।


 कार्यपालक पदाधिकारी
 नगर परिषद् सहरसा
 3.10.18